बिजली चोरी मामलों के तत्काल निपटारे के लिए स्पेशल ऑनलाइन लोक अदालत

बीआरपीएल उपभोक्ताओं के मामलों का होगा निपटारा

नई दिल्लीः 9 दिसम्बर। कोविड महामारी के इस दौर में *न्यू नॉर्मल* पर अमल करते हुए बीआरपीएल एक स्पेशल ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन कर रही है। यहां दक्षिण और पश्चिम दिल्ली के उपभोक्ताओं के बिजली चोरी संबंधी मामलों का तत्काल निपटारा किया जाएगा। दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सहयोग से, 12 और 13 दिसम्बर को पर्मानेंट लोक अदालत विकासपुरी में इसका ऑनलाइन आयोजन किया जा रहा है। बिजली चोरी मामलों के निपटारे के लिए दिल्ली की यह पहली ऑनलाइन लोक अदालत है।

पीएलए कोर्ट के माननीय जजों, कोर्ट स्टाफ, आरोपियों, उपभोक्ताओं व बीएसईएस कर्मियों की सुरक्षा को देखते हुए ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें लोग घर बैठे हिस्सा ले सकेंगे। यह शत–प्रतिशत ऑनलाइन लोग अदालत होगी, जहां अन्य के साथ–साथ माननीय जज भी वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे और मामलों की सुनवाई करेंगे। लोक अदालत सुबह 10 बजे से दोपहरबाद 3 बजे तक चलेगी।

बिजली की सीधी चोरी और मीटर से छेड़छाड़ कर जाने वाली चोरी–– दोनों तरह के मामलों का निपटारा ऑनलाइन लोक अदालत में किया जाएगा। ऐसे मामले जो किसी अदालत/ फोरम में लंबित हैं, उनका भी निपटारा यहां किया जाएगा और उन मामलों का भी, जिन्हें अब तक किसी अदालत में दाखिल नहीं किया गया है।

लोक अदालत, दक्षिण व पश्चिम दिल्ली में रहने वाले बीआरपीएल उपभोक्ताओं व याचिकाकर्ताओं को एक अवसर मुहैया कराएगी, ताकि बिजली चोरी से संबंधित उनके मामलों का तत्काल व परस्पर स्वीकार्य ढंग से निपटारा किया जा सके।

जो उपभोक्ता लोक अदालत में बिजली चोरी से संबंधित अपने मामलों का निपटारा करवाना चाहते हैं, वे खुद या अपने वकील/ अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से ऑनलाइन लोक अदानत में शामिल हो सकते हैं। उन्हें उनका आईडी प्रूफ और बिजली चोरी वाले बिल की कॉपी भी साथ में रखनी होगी। जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वे पीएलए बिल्डिंग–3 विकासपुरी आकर यहां हो रही वर्चुअल सुनवाई में शामिल हो सकते हैं।

ऑनलाइन लोक अदालत में शामिल होने के लिए उपभोक्ताओं व याचिकाकर्ताओं को पहले ही खुद को रजिस्टर कराना होगा। इसके लिए वे brpl.epla@relianceada.com पर मेल कर सकते हैं या 49209419 पर कॉल सकते हैं। इसके अलावा, उपभोक्ताओं को अपनी फोटो आईडी की कॉपी और बिजली चोरी के बिल की कॉपी भी जमा करानी होगी। वकीलों और अधिकृत प्रतिनिधियों को अपने क्लाइंट या उपभोकता की ओर से एक अथॉराइजेशन लेटर जमा कराना होगा।

मामले के निपटारे के बाद उपभोक्ताओं के पास सेटल्ड रकम का ऑनलाइन भुगतान करने का विकल्प होगा। बकाया रकम का भुगतान करने के बाद उपभोकता तुरंत नए कनेक्शन/ री–कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। वैसे, सेटल्ड रकम का भुगतान करने के लिए उपभोक्ताओं को पर्याप्त समय दिया जाएगा।

यह लोक अदालत सभी के लिए फायदेमंद है। उपभोक्ताओं के लिए यह अवसर होगा कि वे आपसी सहमति से अपने मामले का निपटारा कर सकेंगे और साथ ही लंबी व खर्चीली कानूनी प्रक्रिया से उन्हें नहीं गुजरना होगा। न्यायपालिका पर पहले ही काम का

अत्यधिक बोझ है और ऐसे में उम्मीद है कि ऑनलाइन लोक अदालत से उनके कोर्ट्स पर काम का दबाव कुछ कम होगा। और बीएसईएस के लिए फायदा यह है कि उसके बिलिंग नेट में ज्यादा लोग आएंगे, जिससे बिजली की चोरी कम होगी।

बीएसईएस प्रवकता के मुताबिक, कोरोना के इस वक्त में न्यू नॉर्मल को अपनाते हुए बीएसईएस ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए कई डिजिटल सेवाएं लॉन्च की हैं। इसी कड़ी में ऑनलाइन पर्मानेंट लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जून 2020 से लेकर अब तक बीआरपीएल और बीवाईपीएल ने ई–पर्मानेंट लोक अदालत के माध्यम से बिजली चोरी के करीब 4000 मामलों का ऑनलाइन निपटारा किया है।

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनियां बीआरपीएल और बीवाईपीएल, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के बीच संयुक्त उद्यम हैं।

———